18.34 HOURS.

CONTEMPT OF HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "यह सभा संकल्प करती है कि जो व्यक्ति अपने आप को श्री इन्द्रदेव सिंह कहता है, जिस ने आज सायंकाल 5 बज कर 5 मिनट पर दर्शक दीर्घा से सभा-भवन में पर्चे फेंके और जिस को वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उस ने एक घोर अपराध किया है और वह इस सभा के अपमान का दोषी है।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उस को 16 दिसम्बर, 1967 के सायंकाल 6 बजे तक के लिए साधारण कारावास का दण्ड दिया जाए और दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए।"

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव डा० राम सुभग सिंह ने रखा है, मैं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं और मेरी पार्टी यह चाहते हैं, कि देश में हिन्दी भाषा हो। अगर सरकार उस को नहीं करती है, तो हमें उस के विरोध का भी हक है। हम सदन में भी उस का विरोध करेंगे और बाहर भी विरोध करेंगे। हर जगह विरोध करेंगे, जब तक कि देश में हिन्दी भाषा नहीं होती है। लेकिन उस का एक तरीका है, एक विधान है। अगर हमारे देश में इस के लिए वायलेंस की जाएगी और अनकांस्टीट्यूशनल तरीके अपनाए जायेंगे, तो यहां पर पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी नहीं चल सकती है। सरकार ने अब तक यह परम्परा स्थापित की है कि जब तक वायलेंस नहीं होता है, तब तक वह कुछ नहीं करती है और यह बात ठीक नहीं है। सरकार की आफ़िशल लैंग्वेज अंग्रेजी या हिन्दी नहीं है, बल्कि उस की आफिशल लैंग्वेज पत्थर, रोड़े और वायलेंस हो गई है। मैं समझता हूं कि जो भी पार्टी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, वह सदन में हुई आज की घटना को अच्छा नहीं समझेगी।

मैं अपनी पार्टी की ओर से इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि आईन्दा इस प्रकार का कोई इन्सिडैंट सदन में नहीं होना चाहिए।

SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool) : Sir, on behalf of the Swatantra party, I support the motion of Dr. Ram Subhag Singh.

MR. SPEAKER : The question is :

"This House resolves that the person calling himself Shri Indra Deo Singh who threw pamphlets from the Visitors' Gallery on the Floor of the House at 5.5 p.m. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately, has committed a grave offence and is guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that he be sentenced to simple imprisonment till 6 p.m. on the 16th December, 1967 and sent to Tihar Jail, Delhi."

The motion was adopted.

18.37 HOURS

'UNTOLD STORY' BY Lt. GEN. KAUL

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले इस सदन में जेनरल काल की किताब "अनटोल्ड स्टोरी" के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार की तरफ़ से कहा गया था कि सरकार उन के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चला रही है। मैं समझता हूं कि यह पक्षपात है। मेरी सूचना है कि ला मिनिस्ट्री ने यह कह दिया है कि जेनरल काल ने कानून की अवहेलना की है, कानून को तोड़ा है और देश के डिफेंस और सिक्यूरिटी के साथ खिलवाड़ की है और इस लिए उन के खिलाफ़ मुकदमा चलाया जा

*Half-an-hour discussion.